



## वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबंध मंडल की 114 वीं बैठक, दिनांक 28 सितंबर 2026

### कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 114वीं बैठक दिनांक 28 सितंबर 2026 को मध्याह्न 2.15 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर ऑनलाईन एवं ऑफ़लाइन मोड पर आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

- |                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. प्रो० बी०एल० वर्मा<br>कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला वि०, कोटा।                                                               | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० नारायण लाल गुप्ता<br>राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।                                                                       | सदस्य   |
| 3. प्रो० सुमिता कच्छवा<br>आचार्य, वनस्पति विज्ञान<br>राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।                                            | सदस्य   |
| 4. संभागीय आयुक्त, कोटा<br>(अति० मुख्य सचिव, वित्त द्वारा नामित)                                                               | सदस्य   |
| 5. प्रो० नीरा कपूर<br>इंदिरा गांधी रा०मु० वि०, नई दिल्ली।                                                                      | सदस्य   |
| 6. प्रो० बी० अरुण कुमार<br>निदेशक, योजना विकास एवं संकाय<br>वमखुवि, कोटा।                                                      | सदस्य   |
| 7. प्रो० सुबोध कुमार,<br>आचार्य (पत्रकारिता)<br>वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।                                       | सदस्य   |
| 8. डॉ० मुकेश कुमार शर्मा<br>संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।<br>(प्रतिनिधि अति.मु. सचिव, उ. शिक्षा विभाग राज० सरकार) | सदस्य   |
| 9. डॉ० दिलीप कुमार शर्मा<br>निदेशक, क्षे.के., वमखुवि, अजमेर।                                                                   | सदस्य   |
| 10. अनुराग भार्गव, R.A.S.<br>कुलसचिव<br>व०म०खु०वि०, कोटा।                                                                      | सचिव    |

माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए निर्वर्तमान सदस्य प्रो० स्व. जे०पी० शर्मा एवं प्रो० नवल किशोर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति सदन की ओर से आभार प्रकट किया एवं नव मनोनीत सदस्य प्रो० नाराण लाल गुप्ता एवं प्रो० नीरा कपूर का स्वागत करते हुए उनका परिचय सदन से करवाए जाने के उपरांत कार्यसूची विवरण में उल्लेखित प्रस्तावों पर चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किए गए:-

114/01

प्रबंध मंडल की 113वीं बैठक दिनांक 30 दिसंबर 2025 के कार्यवाही विवरण एवं की गई अनुपालना की पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 113वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं निर्णयों के क्रम में की गई पालना के सम्बन्ध में डॉ० दिलिप कुमार शर्मा द्वारा कार्यवाही विवरण सं० 113/01 के क्रम में बताया कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सी०ए०एस० का लाभ प्रदान किए जाने के संदर्भ में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.01.2026 को प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ही सी०ए०एस० का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी आदेश प्रत्याहरित किया जाना उचित नहीं है। सदस्यों द्वारा भी उनके कथन से सहमति व्यक्त की गई, कुलगुरु महोदय ने बताया कि राज्य सरकार से सी.ए.एस. की अनुमति प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्र व्यवहार किया गया था उसमें संदर्भ शिक्षकों की सी.ए.एस. हेतु अनुमति का उल्लेख किया गया था, यद्यपि सी.ए.एस. प्रदत्त किए जाने पर पड़ने वाले वित्तीय भार में शिक्षकों को देय राशि के साथ-साथ तीन निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के नाम सहित उनका पद एवं सी.एस. प्रदत्त किए जाने के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार का भी उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार के स्वीकृति पत्र में केवल शिक्षकों की अनुमति का संदर्भ होने के कारण, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र को सी.ए.एस. का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी आदेश प्रत्याहरित किया गया। प्रबंध मंडल के सम्माननीय सदस्य प्रो० नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि यू०जी०सी० अधिनियम में शिक्षकों के साथ-साथ अन्य शैक्षणिक स्टाफ पदाधिकारियों के लिए भी सी.एस.एस. का प्रावधान है, और विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र को अन्य शैक्षणिक स्टाफ माना गया है इसलिए उनको भी सी.ए.एस. का लाभ मिलना चाहिए। सदस्य प्रो० बी० अरूण कुमार ने बताया कि चूंकि विश्वविद्यालय निदेशक, क्षेत्रों को अन्य शैक्षणिक स्टाफ मानता है और इंदिरा गांधी रा.मु. विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्रीय केन्द्र के निदेशकों को भी इसी आधार पर मापदण्डों को निर्धारित कर सी.ए.एस. का लाभ दिया है, सदस्य प्रो० नीरा कपूर जो प्रबंध मंडल में इंदिरा गांधी रा.मु. विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि है, उन्होंने प्रो० बी० अरूण कुमार के उक्त तथ्यों की पुष्टि की। एवं मत व्यक्त किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की

2/12

कार्य प्रणाली की पुनर्वापत्ति नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। सदन में यह भी चर्चा की गई कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सी0ए0एस0 का लाभ प्रदान किए जाने के लिए राज्य सरकार को पुनः अनुरोध किया जाए। संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में कोई निर्णय किया जाना संभव नहीं होगा। तदनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त चर्चा एवं निर्णय उपरांत प्रबंध मंडल की 113वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया एवं की गई अनुपालना की पुष्टि की गई।

114/02

विद्या परिषद की 73 वीं बैठक दिनांक 20 अगस्त 2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित शोध पीठों में प्रभावी कार्य भी होना आवश्यक है, इनमें पर्याप्त संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि शोधार्थियों को शोधपीठ स्थापित किए जाने का वास्तविक लाभ मिल सके। कुलगुरु महोदय द्वारा सदन को आश्वस्त किया कि शोध पीठों के प्रभावी संचालन के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे, तदुपरांत सदन द्वारा विद्या परिषद की 73वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

114/03

आयोजना मंडल की 20वीं बैठक दिनांक 18 सितंबर 2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

आयोजना मंडल की 20वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान सदन को अवगत करवाया गया कि आयोजना मंडल की 19वीं बैठक में प्रस्तावित किए गए चार भवनों (ट्रांजिस्ट हॉस्टल, मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ भवन, भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्र भवन एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु अतिथि गृह भवन) की अनुमानित लागत ₹0 1667.98/- लाख राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि0 से प्राप्त

3/12

हुआ है। इन भवनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। आयोजना मंडल की 20वीं बैठक में सदस्यगणों द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किए जाने के विचार व्यक्त किए गए हैं। आयोजना मंडल के सुझाव को स्वीकार करते हुए प्रबंध मंडल द्वारा प्राप्त अनुमानित व्यय रु0 1667.98/- लाख को स्वयं की आय से वहन किए जाने की स्वीकृत प्रदान करते हुए, भवन निर्माण स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया साथ ही इस सम्बन्ध में नियंत्रक, वित्त को निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करते हुए स्वीकृति शीघ्रताशीघ्र जारी करवावें।

उक्त जानकारी एवं निर्णय उपरांत आयोजना मंडल की 20वीं बैठक में नव प्रस्तावित शोध पीठ के भवनों को स्वयं के आय स्रोत से निर्माण करवाने पर सहमति व्यक्त करते हुए आयोजना मंडल की 20वीं बैठक दिनांक 18 सितंबर 2026 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

114/04

वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 22 सितंबर 2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 22 सितंबर 2026 के कार्यवाही विवरण पर बिंदुवार चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किया गया :-

निर्णय संख्या 71/02 नवीन सर्वर के क्रय की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने सदन को बताया कि नया सर्वर खरीदना विश्वविद्यालय के लिए वर्तमान ऑनलाईन प्रक्रियाएँ/सेवाएँ प्रदान करने और भविष्य की योजनाएँ क्रियान्वित करने के लिए अपरिहार्य हो गया है, अन्य सदस्यों द्वारा भी कई विश्वविद्यालयों में ऑनलाईन प्रक्रियाओं का विस्तार किए जाने की जानकारी से सदन को अवगत करवाया। नए सर्वर के माध्यम से आन्तरिक गृह कार्यों के ऑनलाईन जमा व मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करने की संभावनाएँ तलाश करने की चर्चा की गई। संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग का सुझाव था कि नवीन सर्वर क्रय में प्रक्रियात्मक समय को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक क्षेत्रीय केन्द्र का चयन कर वहां के विद्यार्थियों के आंतरिक गृह कार्य की मूल्यांकन व्यवस्था को ऑनलाईन किया जाना उचित होगा। यह कार्य किसी सरकारी

4/12

एजेंसी अथवा कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया जाए तथा कार्य सफलता पूर्वक होने पर चरणबद्ध रूप से अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों के विद्यार्थियों को भी ऑनलाईन व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। सदन द्वारा उक्त विचार से सहमति व्यक्त करते हुए सबसे कम पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या वाले क्षेत्रीय केन्द्र के आन्तरिक गृह कार्यों को ऑनलाईन मूल्यांकन को पायलेट प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर सरकारी कंपनी से कार्य करवाए जाने का निर्णय किया गया। सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को भी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाईन मूल्यांकन करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सर्वर खरीद के संबंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग द्वारा यह भी अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा सीधे ही डी.ओ.आई.टी. को पत्र प्रेषित करने के स्थान पर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पत्र प्रेषित किया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि डी.ओ.आई.टी. से स्पेसिफिकेशन/अनुमति की आवश्यकता उन प्रकरणों में है, जहां राज्य सरकार के फंड से सर्वर क्रय किया जा रहा हो। इस प्रकरण में विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोत से आवश्यकतानुसार सर्वर क्रय किया जाना आवश्यक है। इसलिए इसमें डी.ओ.आई.टी. से अनुमति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किंतु चूंकि अब एक बार प्रकरण डी.ओ.आई.टी. को प्रेषित कर दिया गया है इसलिए अब विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वर क्रय का निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं तकनीकी विशेषज्ञ एक बार जयपुर आएँ, जिससे कि वे उनके साथ डी.ओ.आई.टी. में व्यक्तिशः जाकर प्रकरण को विश्वविद्यालय हित में शीघ्र हल करवाने का प्रयास करेंगे। सदस्यों का मानना था कि सर्वर हेतु क्रय राशि बढ़ाए जाने के संबंध में तत्पश्चात निर्णय किया जाना उचित होगा। प्रबंध मंडल ने 71वीं वित्त समिति के प्रस्ताव, कि विश्वविद्यालय डी.ओ.आई.टी. के साथ-साथ सरकारी उपक्रम आर.आई.एस.एल. या कंसलटेंट की सेवाओं के आधार पर भी सर्वर की Configuration और अनुमानित व्यय का पता लगाने का प्रयास कर सकता है, स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णय संख्या 71/03 पर आन्तरिक गृह कार्य मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में प्रो० नारायण लाल जी गुप्ता द्वारा जानकारी चाहने पर प्रो० बी० अरूण कुमार द्वारा बताया गया कि सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मानदेय राजभवन/राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय-समय पर पुर्ननिर्धारित किया जाता है, किंतु आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षकों का मानदेय विश्वविद्यालय स्तर पर वित्त समिति एवं प्रबंध मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है एवं इनकी दरें विगत कई वर्षों से संशोधित नहीं हुई

5/12

है, उन्होंने बताया कि आंतरिक गृह कार्य के मूल्यांकन में परीक्षकों का कार्य संत्रात परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लगभग समान ही है। इसलिए स्थाई रूप से यह व्यवस्था करना उचित प्रतीत होगा। संत्रात परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु देय मानदेय की 75 प्रतिशत दर निर्धारित कर दी जाए ताकि बार-बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं रहे। सदस्यों ने उक्त व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति प्रदान की।

निर्णय संख्या 71/06 के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई कि परीक्षा विभाग की इंप्रेस्ट राशि में अत्याधिक वृद्धि प्रस्तावित है एवं राशि भी राउंड ऑफ भी नहीं है इसे निर्धारित करने का आधार क्या है ? इस पर प्रो० बी० अरुण कुमार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित राशि 170000/-रु० गत तीन वर्षों में इंप्रेस्ट में हुए व्यय के आधार पर प्रस्तावित है। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि इंप्रेस्ट से व्यय के बिल पुर्नभरण होकर प्राप्त होते रहते थे, इस कारण कार्य में समस्या नहीं आती थी, किंतु वित्त विभाग द्वारा विभाग में इंप्रेस्ट राशि फिक्स कर दी गई एवं पुर्नभरण व्यवस्था समाप्त कर दिए जाने के कारण परीक्षा विभाग को आवश्यक कार्य करवाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डॉ० दिलीप कुमार शर्मा द्वारा भी इंप्रेस्ट राशि को फिक्स किए जाने को उचित नहीं बताया गया। चर्चा उपरांत परीक्षा विभाग को प्रदान की जाने वाली इंप्रेस्ट राशि में वृद्धि के निर्णय को स्वीकार किया गया।

निर्णय संख्या 71/07 के सम्बन्ध में चर्चा हुई कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा ईकाई लेखन, संपादन, व्याख्यान आदि शैक्षणिक गतिविधियों की जा रही है में भी मानदेय प्रदान नहीं किया जा रहा है, क्यों कि इन कार्यों को उनके कर्तव्यों का हिस्सा माना गया है। किंतु शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम अद्यतन एवं लेखन आदि के कार्य के लिए बाह्य शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करने और उनको मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू है। उक्त जानकारी उपरांत प्रो० नारायण लाल गुप्ता द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के कार्यभार में ईकाई, लेखन, अद्यतन एवं संपादन के मापदण्डों को समाहित किया जाना चाहिए। चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा बिंदु संख्या 71/07 में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बाह्य सदस्यों को देय मानदेय में वित्त समिति में प्रस्तावित वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णय संख्या 71/08 पर प्रो. नारायण लाल गुप्ता का मत था कि लिये गये निर्णय में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, एक ओर तो लिखा गया है कि प्रस्ताव को प्रथमतः विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाने का अभिमत व्यक्त किया गया तथा इसके आगे यह

5/12

लिखा गया है कि प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ, जबकि प्रथम निर्णय में प्रस्ताव को विद्या परिषद की बैठक में रखे जाने का उल्लेख किया जा रहा है। इसे ठीक किया जाए एवं दर वृद्धि के प्रस्ताव को विद्या परिषद की आगामी बैठक के निर्णय उपरांत वित्त समिति के माध्यम से प्रबंध मंडल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाए।

निर्णय संख्या 71/09 के सम्बन्ध चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रो० बी० अरुण कुमार द्वारा सदन को अवगत करवाया कि वित्त समिति की बैठक के दौरान अतिथि सत्कार राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इसमें यह चर्चा नहीं हुई कि क्रय की जाने वाली सामग्री उपभोक्ता संघ की दुकानों अथवा सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की दुकानों से क्रय किया जाना उचित होगा। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित प्रतिवेदन भी कुलगुरु महोदय को प्रस्तुत कर वित्त समिति के निर्णय को संशोधित करने का अनुरोध किया गया। चर्चा के दौरान अन्य सदस्यों का मत था कि विभागाध्यक्षों को प्रदान किए जाने वाले आतिथ्य सत्कार से सामान्यतया प्रतिमाह चाय, शक्कर, दूध आदि सामग्री विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप लाई जाती है, इन्हें वार्षिक उपयोग के आधार पर क्रय नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रकार का उल्लेख किए जाने से भविष्य में अनावश्यक ऑडिट आक्षेप की संभावना रहेगी, इसलिए क्रय की जाने वाली सामग्री उपभोक्ता संघ की दुकानों अथवा सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की दुकानों से क्रय किए जाने के उल्लेख को विलोपित कर वित्त समिति के निर्णय को संशोधित किया जाए।

बैठक के दौरान यह भी चर्चा में आया कि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा दीक्षांत समारोह, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनारों, वर्कशॉपों एवं संगोष्ठियों में आने वाले अतिथियों के लिए भोजन एवं अल्पाहार के लिए किए गए वार्षिक दर अनुबंध में निर्धारित फर्म द्वारा खाद्य सामग्री की क्वालिटी खराब है। खराब खाद्य सामग्री से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है एवं विश्वविद्यालय की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत करवाया कि माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री/राज्य सरकार के मंत्रीगण भी इस प्रकार के समारोह में शिरकत करते हैं और ऐसी स्थिति में खाद्य सामग्री तैयार करने का कार्य शहर की प्रतिष्ठित फर्मों के माध्यम से ही करवाया जाना आवश्यक है। किन्तु प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा वर्ष पर्यन्त समपन्न किए जाने वाले आयोजनों में खान-पान की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु टेंडर आदि की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है। प्रमुख आयोजनों जैसे दीक्षान्त समारोह या अन्य समारोह जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय केन्द्र एवं

राज्यसरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं माननीय विधायकगण शिरकत कर रहें हो, ऐसी स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप टेंडर प्रक्रिया से निर्धारित फर्म के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठित फर्म के माध्यम से कार्य करवाए जाने हेतु प्रबंध मंडल द्वारा कुलगुरु महोदय को निर्णय करने के लिए अधिकृत किया गया।

उपरोक्त चर्चा एवं निर्णयों सहित वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 22 सितंबर 2026 के कार्यवाही विवरण को प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

114/05

विश्वविद्यालय के आयोजना मंडल में प्रबंध मंडल के नॉमिनी के रूप में सदस्य के मनोनयन के निर्णय की पुष्टि का प्रस्ताव।

आयोजना मंडल में प्रबंध मंडल के नॉमिनी के रूप में प्रो० क्षमता चौधरी के मनोनयन की पुष्टि की गई।

114/06

सी.ए.एस. के तहत पदोन्नति बाबत दिनांक 08 जुलाई 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

सी.ए.एस. के तहत पदोन्नति बाबत दिनांक 08 जुलाई 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित शिक्षकों को सी०ए०एस० के तहत (एकेडेमिक लेवल एल-12 से एकेडेमिक लेवल एल-13 ए) पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया:-

| क्रम सं० | शिक्षक का नाम  | वर्तमान पद               | पदोन्नत पद              |
|----------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 01       | डॉ० आलोक चौहान | सहा० आचार्य (भूगोल)      | सह आचार्य (भूगोल)       |
| 02       | डॉ० कपिल गौतम  | सहा० आचार्य (संस्कृत)    | सह आचार्य (संस्कृत)     |
| 03       | डॉ० अकबर अली   | सहा० आचार्य(लोक प्रशासन) | सह आचार्य (लोक प्रशासन) |

114/07

Ex-Cadre में आवंटित लेखा संवर्ग में सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के 13 पदों में से 04 पद ही कोटा मुख्यालय पर रखे जाने एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर स्वीकृत 05 पदों सहित शेष 09 सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के पदों को राज्य सरकार को पूर्ण औचित्य सहित लौटाए जाने संबंधी प्रस्ताव।

सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के पद राज्य सरकार को समर्पित किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जानकारी में आया कि क्षेत्रीय केन्द्रों पर लेखा सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक नहीं होता है एवं खरीद-फरोख्त, टेंडर आदि की केन्द्रीयकृत प्रक्रिया अधिकांशतया मुख्यालय पर ही संपादित की जाती है। बिल पारित करने की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार

8/12

क्षेत्रीय केन्द्रों एवं मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों द्वारा तैयार बिलों को पहले वहां पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय द्वारा परीक्षण किया जाता है और उसके उपरांत मुख्यालय स्थित वित्त एवं लेखा विभाग में इन बिलों का पुनः परीक्षण सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय द्वारा ही किए जाने एवं उनके द्वारा सही पाए जाने के उपरांत ही बिल पारित किए जाने की व्यवस्था है, इस कारण अनावश्यक रूप से कार्य का दोहरापन एवं कार्य में विलंब होता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार की दृष्टि से क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले बिलों का परीक्षण केवल मुख्यालय स्थित लेखा एवं वित्त विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों से ही करवाए जाने के उपरांत नियमानुसार सही होने पर बिल पारित किए जाने की व्यवस्था रहनी चाहिए। इस व्यवस्था के तहत कार्य की दृष्टि से क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विभिन्न विभागों में सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के पदों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में कार्य में सुधार आएगा तथा विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी कम होगा, जिससे कार्मिकों के पेंशन फंड में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त राशि की व्यवस्था संभव हो सकेगी।

उपरोक्त चर्चा उपरांत प्रबंध मंडल ने निर्णय किया कि सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के Ex-Cadre में आवंटित 13 पदों में से 09 पदों (क्षेत्रीय केन्द्रों पर स्वीकृत 05 पदों सहित) को समर्पित कर दिया जाए एवं इन 09 पदों पर कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों के अन्यत्र पदस्थापन हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाए।

114/08

विश्वविद्यालय में कार्यरत सफाईकर्मियों के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को वर्दी एवं धुलाई भत्ता दिए जाने संबंधी प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान प्रो० नारायण लाल गुप्ता द्वारा सदन को बताया कि प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जब प्रारंभ से ही सफाई कार्मिकों को वर्दी एवं धुलाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है, तो वर्षों बाद इसे प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की क्या आवश्यकता है ? सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के दिनांक 20.04.1999 के नोटिफिकेशन में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में चपरसी के साथ सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित है, इसी आधार पर विश्वविद्यालय के प्रारंभ से ही सफाई कर्मचारियों को भी चपरसियों की भांति वर्दी एवं धुलाई भत्ता प्रदान किया जा रहा

9/12

है किन्तु विश्वविद्यालय के वित्त विभाग द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि वर्दी एवं धुलाई भत्ता राजस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ही स्वीकृत किया जाता रहा है एवं राजस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के वर्दी सम्बन्धी आदेश में सफाई कार्मिकों के पदनाम का उल्लेख नहीं है। इस कारण वित्त विभाग द्वारा इनके भत्ते के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है, जब कि वर्तमान में मात्र दो सफाई कर्मचारी ही विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, जो भी आगामी दो-तीन वर्ष में सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। उक्त जानकारी उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में सफाई कार्मिकों को वर्दी भत्ते के संबंध में विश्वविद्यालय के नियंत्रक, वित्त की स्पष्ट टिप्पणी सहित प्रस्ताव प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

उक्त चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अपुमति ये निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा एवं निर्णय किए गए:-

114/09 (1)

सहायक कुलसचिवों द्वारा उनकी पदौन्नति के लिए दिए गए संयुक्त ज्ञापन के संबंध में सदन को अवगत करवाए जाने पर सदस्य प्रो० बी० अरूण कुमार ने उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिवों के पदौन्नति के सम्बन्ध में सदन को बताया कि प्रबंध मंडल द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के क्रम में राज्य सरकार ने उपकुलसचिव के एक पद को क्रमोन्नत कर अतिरिक्त कुलसचिव के पद के सृजन के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाईडलाइन में अतिरिक्त कुलसचिव के पद का उल्लेख नहीं है एवं यह पद सीधी भर्ती की श्रेणी में आने के कारण अतिरिक्त कुलसचिव के पद को पदौन्नति से नहीं भरा जा सकता है। उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पदों की पदौन्नति के सम्बन्ध में पूर्व बैठकों में किए गए निर्णयों की पालना के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। सदन का अभिमत था कि उप कुलसचिव व अतिरिक्त कुलसचिव जैसे पदाधिकारियों के लिए भी पदौन्नति की व्यवस्था होना तर्कसंगत और न्यायोचित हैं। कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत करवाया कि राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी चयन अधिनियम-1974 में उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पद सीधी भर्ती के पद निर्धारित हैं, जिन पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना पदौन्नति संभव नहीं है। इसलिए प्रबंध मंडल की पूर्व बैठकों में किए गए निर्णयों की पालना से पूर्व राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।

10/12

सदन द्वारा उक्त जानकारी के बाद अतिरिक्त कुलसचिव का एक नया पद सृजित करवाने जिसे अधिनियम प्रावधान के अनुसार सीधी भर्ती से भरने तथा प्रबंध मंडल की पूर्व बैठकों में उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव की पदौन्नति के निर्णय के क्रम में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के उपरान्त पदौन्नति की कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

114/09 (2)

कुलगुरु महोदय द्वारा सदन के ध्यान में लाया गया कि विगत समय में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जहां अधिकारियों द्वारा कुलगुरु महोदय की जानकारी में लाए बिना सीधे ही राज्य सरकार एवं अन्य विभागों से पत्राचार किया गया है एवं कई प्रकरणों में अपनी टिप्पणी बिना कुलगुरु के अनुमोदन के प्रेषित की गई है। सभी सदस्यों ने इस विषय को अत्यंत गंभीर माना। कुलसचिव द्वारा बताया गया कि कई प्रकरणों में राज्य सरकार तथा राजभवन से दूरभाष पर सूचना मांगी जाती है तथा प्रकरण के विषय में पूछा जाता है एवं कुलसचिव उपरोक्त विषयों में उत्तर दे पाने में विषय की जानकारी के अभाव में असक्षम हो जाते हैं, क्यों कि पूर्व में वे प्रकरण बिना कुलसचिव कार्यालय अथवा कुलसचिव की जानकारी व टिप्पणी के बिना ही राज्य सरकार एवं राजभवन को प्रेषित किए गए होते हैं। संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा राज्य सरकार की ओर से केवल कुलसचिव से ही पत्राचार किया जाता है एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट, टिप्पणी अथवा प्रतिउत्तर चाहा जाता है। इस पर कुलसचिव द्वारा बताया गया कि ऐसे प्रकरण जिन्हें कुलसचिव अथवा कुलगुरु कार्यालय कि ध्यान में लाए बिना अथवा कुलगुरु महोदय के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार को प्रेषित किया गया हो उनमें उत्तर देने संभव नहीं है। ऐसे प्रकरण भी ध्यान में लाए गए हैं जहां कुलगुरु एवं प्रबंध मंडल के अनुमोदन व निर्णय के उपरांत भी विपरीत रूप से स्वेच्छानुरूप टिप्पणीयां पत्रावलियों पर की जा रही है, तथा प्रकरणों को लंबित रखा जा रहा है। उपस्थित सभी सदस्यों ने ऐसी स्थिति को अत्यंत गंभीर माना तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

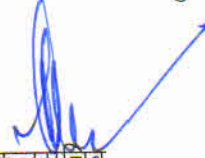
1. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह कहा गया कि यदि किसी प्रकार का पत्राचार कुलगुरु महोदय के अनुमोदन व जानकारी के बिना राज्य सरकार से किया गया है, तो ऐसे समस्त पत्रों की प्रति उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इस पर सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार पत्रों की प्रति प्राप्त की जाकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

11/12



2. प्रबंध मंडल द्वारा किए गए निर्णयों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा विपरीत बिंदु प्रबंध मंडल की जानकारी में लाए बिना राज्य सरकार को अथवा अन्य विभागों को नहीं भेजा जाए।
3. समस्त प्रकार की महत्वपूर्ण पत्रावलियां जिनमें विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय विश्वविद्यालय में क्रय, निर्माण, वित्तीय लेन-देन, विश्वविद्यालय की निधि एवं बैंक खातों से लेने-देन एवं जमा, अन्य महत्वपूर्ण विषयों एवं निर्णयों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां कुलसचिव के माध्यम से ही कुलगुरु महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा कुलगुरु महोदय के अनुमोदन के बिना किसी प्रकार का निर्णय अथवा कार्यवाही संपादित नहीं की जाएगी। राज्य सरकार से पत्राचार कुलगुरु महोदय के अनुमोदन पश्चात् केवल कुलसचिव द्वारा ही किया जाएगा।

बैठक के अंत में प्रबंध मंडल के पूर्व सदस्य प्रो० जे०पी० शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करने के उपरांत आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
कुलसचिव  
एवं  
सचिव प्रबंध मंडल

12/12